

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर

पत्रांक- 2534 / आर०एस०एल०ए०, रा.नि.

दिनांक- 21-06-17

जिलाधिकारी  
रामपुर।

विषय:- जनपद रामपुर में पिपलिया मिश्र से तीनपानी मुण्डिया कलां-कमुआ-केमरी (ग्रामीण मार्ग) मार्ग के चैनैज 8.568 से 8.618 के मध्य ग्राम नरायन नगला तहसील बिलासपुर जिला-रामपुर के खसरा/गाटा संख्या 238 पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-240/जे०ए०-2 दिनांक 10.03.2017 एवं मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि० मुरादाबाद के पत्र सं०-3918/154काम-मु०क्षे०/17 दिनांक 15.06.2017

महोदय,

आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि० मुरादाबाद के द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.06.2017 से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया है प्रकरण मूल में संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-

- 1 - साइड प्लान 1
- 2 - अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त लो०नि०वि०, रामपुर का पत्र सं०- 2174/51काम-रा०वृत्त/17 दिनांक 15.06.2017 की छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

रामपुर

दिनांक:-

पत्रांक:- /आर०एस०एल०ए०

प्रतिलिपि -

1. मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि० मुरादाबाद को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त लो०नि०वि०, रामपुर को उनके पत्र सं०- 2174/51काम-रा०वृत्त/17 दिनांक 15.06.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय जनसंपर्क अधिकारी  
मुरादाबाद क्षेत्र (रामपुर)

प्रमाणित  
आधिकारिक दस्तावेज

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
रामपुर

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद ।

पत्रांक : 3918/154काम-मु0क्षे0/17

दिनांक 15-6-2017

अविभागीय अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
रामपुर ।

विषय :

जनपद रामपुर में पिपलिया मिश्र से तीनपानी गुण्डिलया कलां कमुआ-केमरी (ग्रामीण मार्ग) मार्ग के चैनेज 8.568 से 8.618 के मध्य ग्राम नरायन नगला तहसील-बिलासपुर, जिला रामपुर के खसरा/गाटा सं0-238 पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर के पत्रांक-2174/51काम-रा0वृत्त/17 दिनांक 15.06.2017

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें । विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर के संदर्भित पत्र द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में जनपद रामपुर में पिपलिया मिश्र से तीनपानी गुण्डिलया कलां-कमुआ-केमरी (ग्रामीण मार्ग) मार्ग के चैनेज 8.568 से 8.618 के मध्य ग्राम नरायन नगला तहसील-बिलासपुर, जिला रामपुर के खसरा/गाटा सं0-238 पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली को निम्न शर्तों के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है :-

- 1- मानचित्र मानक के अनुसार बने है ।
  - 2- प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ।
  - 3- आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा ।
  - 4- प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है ।
  - 5- प्रस्तावित स्थल जनपद रामपुर में पिपलिया मिश्र से तीनपानी गुण्डिलया कलां-कमुआ-केमरी (ग्रामीण मार्ग) मार्ग के चैनेज 8.568 से 8.618 के मध्य ग्राम नरायन नगला तहसील-बिलासपुर, जिला रामपुर के खसरा/गाटा सं0-238 पर स्थित है ।
  - 6- प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है ।
  - 7- रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 1.00 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है ।
  - 8- बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 03 मी0 चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निष्क्रमण कवर्स की चौड़ाई 12.00 मी0 है ।
  - 9- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाय ।
  - 10- आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 14.30 मी0, पम्प 29.30 मी0, 37.80 मी0 एवं भवन निर्माण 49.60 मी0 की दूरी पर नक्शे में प्रदर्शित है ।
- क- आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मान चिहानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा । 10 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है प्रार्थी का लाजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है ।
- ख- आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये ।
- ग- आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिए एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा ।
- घ- फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30 मी0 नीचा रखा जायेगा ।
- 11- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईड खानों में 1.00 मी0 चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैटिल कैंधर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी मुश्किल से सुविधा पूर्वक रोड साईड ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके । किसी भी दशा में नाली/नाले

- 12 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
- 13 बफर स्ट्रिप के पास ग्रीन बैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
- 14 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदिन नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य प्रस्तावित मानचित्र दर्शित इलाकों पर स्थित नहीं किया जायेगा।
- 15 प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए।
- 16 यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विद्यमान हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 17 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि, रामपुर से लाईसेन्स डीड कराना आवश्यक है।
- 18 मू0स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 19 लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस अति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0-33023-19 /99-डो0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाईडलाईनों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- सलग्नः 1 मानचित्र दो प्रतियों में।  
2 एनक्जर-LH एवं बैंक लिस्ट मूल में।  
3 मू0स्वामित्व की खतौनी/सेल डीड की छायाप्रति।  
4 लैंड डीड एग्रीमेन्ट मूल में।  
5 अधी0अभि0, रामपुर का पत्र सं0-2174/  
5। काम-रा0वृत्त/17 दि0 15.06.2017 के पत्र की छाया प्रति।

(के०के० मिह राठौर)

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर बृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर उनके पत्र दिनांक 15.06.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता  
मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०त्रि०  
मुरादाबाद ।

$$J \cdot F(\tau)$$

Ex. Eng  
20/6

वीजाय वनाधिकारी  
मिलानपुर रेल (रामपुर)

प्रमाणित निदेश  
आचार्य बालक प्रकाश  
अध्यापक